दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-३२८ वा | रविवार २९ जून २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

वक़्फ़ संशोधन विधेयक के विरोध में बीड़ में आज विरोध सभा

मौलाना खालिद सैफुल्लाह और मौलाना उमरैन महफूज़ रहमानी करेंगे मार्गदर्शन

काज़ी अमान / बीड़

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक़्फ़ संशोधन विधेयक के विरोध में आज रविवार, २९ जून को बीड़ के बायपास रोड स्थित मोमिनपुरा के इज्तेमा मैदान में दोपहर १ बजे से ४ बजे तक एक भव्य विरोध सभा आयोजित की जा रही है। इस सभा का आयोजन मजलिस ए उलेमा, बीड़ और वक़्फ़ बचाओ कमिटी, ज़िला बीड़ की ओर से किया गया है। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और राष्ट्रीय सचिव हज़रत मौलाना उमरैन महफूज़ रहमानी विशेष रूप से मार्गदर्शन करेंगे। उनके साथ अन्य प्रमुख इस्लामी विद्वान और समाजसेवी भी शामिल होंगे।

मजलिस उलेमा-ए-हिंद, बीड़ ज़िला के सचिव मुफ्ती मोहम्मद अनवर नोमानी ने जिले के समस्त मुस्लिम नागरिकों से अपील की है कि वे इस सभा में बड़ी संख्या में शामिल हों और केंद्र सरकार के अन्यायपूर्ण क़ानून के ख़िलाफ़ एकजुट होकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराएं।

यह उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ महीनों से वक़्फ़ विरोधी विधेयक के विरुद्ध ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक़्फ़ बचाओ कमिटी देशभर में विभिन्न स्वरूपों में आंदोलन चला रहे हैं। बीड़ में होने वाली सभा भी उसी कड़ी का हिस्सा है।

विशेष कॉलम

सरकार की समाजविरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ है मुस्लिम समाज की लड़ाई, न कि किसी जाति या धर्म से विरोध

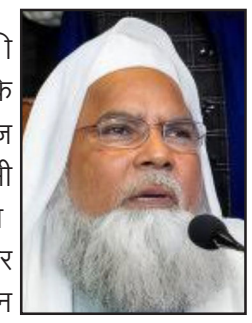

देशभर में वक़्फ़ सुधार क़ानून २०२५ को जबरन लागू करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम समाज का मानना है कि इस क़ानून का उद्देश्य वक़्फ़ की संपत्ति, मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों, कब्रिस्तानों और धार्मिक संस्थानों को सरकार की मनमानी के हवाले कर देना है।

यदि यह विधेयक लागू होता है तो ज़िलाधिकारियों को वक़्फ़ संपत्तियों पर नियंत्रण का अधिकार मिल जाएगा और एक-एक कर संपत्तियां जब्त की जाएंगी। इससे मुस्लिम समाज को धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भारी नुकसान होगा।

मुस्लिम समाज इस काले क़ानून को किसी भी सूरत में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह लड़ाई न तो किसी जाति से है और न किसी धर्म से, बल्कि यह केंद्र सरकार की समाज विरोधी नीति के विरुद्ध है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मजलिस ए उलेमा ने स्पष्ट किया है कि जब तक यह काला कानून रद्द नहीं होता, तब तक लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीक़े से आंदोलन जारी रहेगा, ताकि सरकार पर नैतिक और जनतांत्रिक दबाव बनाकर इस क़ानून को वापस लिया जा सके।

बीड में १७ वर्षीय छात्रा से यौन शोषण मामला: विधायक संदीप क्षीरसागर के करीबी शिक्षक पर गंभीर आरोप, सोमवार को बीड बंद का ऐलान

बीड, २८ जून: संवाददाता

नीट परीक्षा की तैयारी कर रही १७ वर्षीय छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में नया खुलासा हुआ है। आरोपी शिक्षक विजय पवार को विधायक संदीप क्षीरसागर का करीबी बताया जा रहा है, और उसे राजनीतिक संरक्षण मिलने का गंभीर आरोप राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा नेता डॉ. योगेश क्षीरसागर ने लगाया है।

डॉ. योगेश क्षीरसागर ने दावा किया कि विजय पवार विधायक संदीप क्षीरसागर का 'राइट हैंड' है। उन्होंने कहा कि घटना के तुरंत बाद विजय पवार सीधे विधायक के घर गया था और वहां से प्रशासनिक अधिकारियों को फोन कर दबाव डाला गया।

उन्होंने सवाल उठाया कि,

इतना गंभीर अपराध होने के बावजूद आरोपी अब तक फरार है। क्या उसे बचाने के लिए किसी का दबाव है? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।

डॉ. क्षीरसागर ने आरोप लगाया कि विजय पवार का शिक्षा क्षेत्र में दबदबा है, और इसी प्रभाव का इस्तेमाल कर उसने आर्थिक घोटाले, ज़मीन से जुड़े घोटाले और विद्यार्थियों व कोचिंग संचालकों को परेशान करने जैसे कई कृत्य किए हैं।

इस घटना के बाद बीड शहर में डर और नाराजगी का माहौल है। शनिवार को शैक्षणिक बंद रखा गया था, और सोमवार को बीड जिला बंद का आह्वान किया गया है। डॉ. योगेश क्षीरसागर ने जनता से अपील की कि वे इस बंद में सहभागी बनें और पीड़िता को न्याय दिलाने में साथ दें।

उन्होंने कहा कि पीड़ित लड़की मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुकी है और अब उसके परिवार को सामने आकर आवाज उठानी चाहिए।

यह अकेले उस परिवार की नहीं, पूरे समाज की लड़ाई है, उन्होंने कहा।

राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होने की जरूरत

डॉ. क्षीरसागर ने बताया कि उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक और पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और पूरा मामला राज्य के पालक मंत्री के सामने रखा जाएगा। उन्होंने यह भी मांग की कि विजय पवार का कॉल डिटेल रिकॉर्ड (उञ्ठ) और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाए।

उन्होंने स्पष्ट कहा:

राजनीतिक मतभेद भुलाकर सभी को एक साथ आना होगा ताकि आरोपी को बचाने की कोई कोशिश सफल न हो।

डॉ. योगेश क्षीरसागर ने यह भी कहा कि वे स्वयं आगे बढ़कर इस मामले में न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और दोषियों पर कठोर कार्रवाई कराएंगे।

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल के अध्यक्ष ने लिया कार्यप्रगति का जायज़ा

नरेंद्र पाटीलने उपविभागीय कार्यालय हेतु निर्धारित स्थल का निरीक्षण किया

बीड, दिनांक २८: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक पिछड़ा विकास महामंडल के अध्यक्ष नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील ने आज बीड के जालना रोड स्थित महामंडल के प्रस्तावित उपविभागीय कार्यालय के स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महामंडल के कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की। इस निरीक्षण के दौरान मराठवाड़ा क्षेत्र के सभी जिलों के महामंडल समन्वयक और संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।

बताया गया कि मराठवाड़ा क्षेत्र में यह कार्यालय अत्याधुनिक और सुसज्जित होगा। इस कार्यालय के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को महामंडल की सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिलेगा। इस

उपविभागीय कार्यालय के कारण मराठवाड़ा के लाभार्थियों का समय भी बचेगा और योजनाओं का लाभ लेने में उन्हें आसानी होगी। महामंडल अध्यक्ष पाटील ने बताया कि भविष्य में तालुका स्तर तक महामंडल की योजनाएं पहुंचाने के लिए दौरे भी आयोजित किए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाई जा सके।

महाराष्ट्र शासन

अल्पसंख्यांक विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्या मान्यतेने अल्पसंख्यांक पोलिस शिपाई भरतीपुर्व प्रशिक्षण

सन २०२५-२६ करिता.

(मुस्लीम,बौद्ध,जैन,शिख,ज्यु, ईसाह, पारशी, व ख्रिश्चन)

प्रशिक्षण संस्था : आझाद हिंद ब.उ.से.संस्था.म.कामखेडा ता.जि.बीड.

प्रशिक्षणार्थी उमेदवारासाठी अटी-शर्ती

अ.क्र	तपशील	विवरण
१)	पात्रता	१२ वी उत्तीर्ण व त्यापेक्षा जास्त शिक्षणास प्राधाण्य
२)	वय	१८ ते २५ वर्ष असावे.
३)	उत्पन्न	८ लक्ष पेक्षा कमी (स्वयंघोषीत)
४)	उंची व छाती	पुरूष-१६५सेमी, फुगुन ८४ सेमी, महिला- १५५सेमी
५)	शारीरीक चाचणी दिनांक	अर्ज केलेल्या उमेदवाराने शारीरीक चाचणीसाठी उपस्थितीत राहणे बंधनकारक, ९ जुलै २०२५ ला आझाद हिंद शाळा काझीनगर बीड येथे सकाळी १० वा.सुरू होईल.
६)	प्रशिक्षण कालावधी	३ महिने निवासी/अनिवासी
७)	अर्जाचा तपशील	अर्ज हस्तलिखीत नमुजा अर्ज,आधार सह झेरॉक्स प्रती अर्जा सोबत जोडाव्या.
८)	अर्ज करण्याचा दिनांक	दिनांक २८ जुन २०५ ते ७ जुलै २०२५ पर्यंत स्वीकारले जातील.

अल्पसंख्यांक उमेदवाराने अर्ज आझाद हिंद सेमी इंग्लीश उर्दु शाळेत दररोज सकाळी १० ते सायं.५ वाजेपर्यंत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष आणुन जमा करावे.

संपर्क नंबर -
९४२१२७७९४८, ८८८८६८७५४१, ९५०३५४५४०६

शेख मुसा
(सचिव)
आझाद हिंद संस्था
म.कामखेडा. ता.जि.बीड

मा.सुधाकर चिंचाणे
जिल्हा नियोजन,अल्पसंख्यांक अधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय,बीड

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

गाँधी मैदान भरें–चलें पटना!

अल–इन्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विभिन्न मिल्लियतों की साझा मुहिम के तौर पर, २९ जून २०२५ को पटना स्थित गांधी मैदान में वक्फ़ बचाओ, संविधान बचाओ के नारे के तहत आम मुस्लिमों से अपील की जा रही है। इस आंदोलन का मक़सद नए 'वक्फ़ एक्ट २०२५' के खिलाफ मजबूती से विरोध दर्ज कराना है।

वक्फ़ एक्ट २०२५ पर मुख्य आपत्तियाँ

१. पुराने वक्फ़ खत्म करने की योजना

पुरानी वक्फ़ ज़मीनों को पुरातात्विक तत्वों के नाम पर विवादित बनाकर सरकारी कब्ज़े की तैयारी की जा रही है।

२. 'वक्फ़ अली–उल–उल्याद' का अंत

यह एक्ट वक्फ़ की संतान के हिस्सा को समाप्त करने में लगा है।

३. नए वक्फ़ में पांच साल की मुसलमानिता की शर्त

जो व्यक्ति वक्फ़ दान करना चाहेगा, उसे पांच साल तक 'व्यवहारिक रूप से मुसलमान रहना' जरूरी होगा – यह इशारा है कि मुसलमान होने पर ही वक्फ़ संभव होगा।

४. सरकार को अधिकार – न्याय की संभावना से बाहर

यदि वक्फ़ विवाद बनता है, तो उसे भू–विकास अधिकारी (उच्च्) स्तर से ऊपर की सरकार–नियुक्त अधिकारी द्वारा सुलझाया जाएगा, जहाँ विवादी भी वादी भी और न्यायाधीश भी सरकार हो जाएंगी।

– इस तरह न्याय प्रणाली में पक्षपात और सरकारी नियंत्रण सुलभ हो जाएगा।

५. ट्रिब्यूनल का निष्क्रियकरण

पहले वक्फ़ विवाद 'वक्फ़ ट्रिब्यूनल' में जाते थे, और यदि नतीजे से नाराज़ पक्ष उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता था। नए एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल का प्रभाव ख़त्म हो गया है।

६. वक्फ़–कौन्सिल में गैर–मुस्लिम बहुलता

क़ानून में ऐसी व्यवस्था है कि वक्फ़ बोर्ड/काउंसिल में गैर–मुस्लिम बहुसंख्यक बन सकते हैं – जबकि राम मंदिर ट्रस्ट, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और हिंदू नाश बोर्ड में मुस्लिम सदस्य भी शामिल नहीं होते।

७. कमज़ोर व महिलाएँ नहीं बच सकतीं

सरकार कैंपेन चलाई जा रही है कि 'कमज़ोर वर्गों और महिलाओं को लाभ मिलेगा।' परंतु एक्ट में कोई स्पष्ट तंत्र नहीं दिया गया कि वाक़ई लाभ कैसे मिलेगा।

८. आय में सरकारी हस्तक्षेप

वक्फ़ आय को सरकारी विकास और सशक्तीकरण कार्यक्रमों में लगना अनिवार्य बनाया जा रहा है–लेकिन यदि दाता (वाक़िफ़) उस ज़मीन को मदरसा, कब्रिस्तान, मस्जिद, खानकाह या इमामबाड़ा आदि के लिए रिज़र्व रक्खता था, तो सरकारी प्रावधान उसे 'विकास' और 'आत्मनिर्भरता' के नाम पर उससे अलग धक्का दे रहा है – शरअत की अवहेलना है।

हमारी आवाज़ – रिपब्लिक की रक्षा

इसलिए अल–इन्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अमरत–ए–शरइय्या और अन्य मिल्लीयतें आगाह हैं कि सरकार को यह दुर्भावनापूर्ण एक्ट वापस लेना होगा।

यह मक़सद सिर्फ़ वक्फ़ की रक्षा नहीं, बल्कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा भी है।

सरकार पहले किसानों के ख़िलाफ़ बनाए गए क़ानूनों को वापस ले चुकी है। जजों की बहाली को लेकर भी जवाबदेही हुई है। कला–ऐन–उच्च (ड्शसळीश्ररींर्ळींश) ढाँचा में परिवर्तन सरकार ने जल्द–थोमा हुआ नहीं है – नागरिकों की आवाज़ को मानना पड़ा है।

२९ जून २०२५ – पटना का आमंत्रण

– आइए, हिन्दुस्तानी मुस्लिम एक बड़ी 'वक्फ़ बचाओ, संविधान बचाओ' रैली में शामिल हों!

– गाँधी मैदान जमा हों, भाइयों–बहनों के साथ एक साझा आवाज़ फैलाएँ!

– ध्यान दें – सोशल मीडिया / व्हाट्सएप पर अफ़वाह फैलाई जा रही है, इनसे सावधान रहें।

अंत में सलाह

एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा जिम्मा है:

देश का संविधान रहे,

हमारी धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे,

वक्फ़–ज़मीन का दान–नियंत्रण मुसलमानों के हाथ में रहे।

चले आओ पटना, गाम्भीर्य के साथ, चलो गांधी मैदान भरें – क्योंकि सत्य, इंसाफ और धार्मिक आज़ादी की रक्षा मुसलमानों की चारदीवारी की तरह है।

– मुफ़्ती मोहम्मद सना–उल–हुदा क़ासमी
(नायब नाज़िम, अमरत–ए–शरइय्या, पटना)

मुहर्रम उल हराम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है और यह उन चार पवित्र महीनों में से एक है, जिन्हें अल्लाह तआला ने हरमत वाले महीने घोषित किया है। इन चार महीनों की पवित्रता की परंपरा सृष्टि की शुरुआत से चली आ रही है। कुरआन की सूरह तौबा की आयत ३६ में अल्लाह तआला फरमाता है: बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के पास बारह है, उसी दिन से जब उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, उनमें से चार महीने पवित्र हैं। यही सीधा दीन है, अतः इन महीनों में अपने ऊपर ज़ुल्म मत करो।

इस्लामी नववर्ष की शुरुआत: माहे मुहर्रम उल हराम

रसूलुल्लाह ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया:

लोगों! ज़माना अपनी असली हालत पर वापस आ गया है – यानी जिस तरह से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की सृष्टि के दिन उसे बनाया था। साल बारह महीनों का होता है, जिनमें चार पवित्र महीने हैं: तीन लगातार – ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम – और चौथा रजब, जो जमादी अल–आखिर और शाबान के बीच आता है। (बुखारी)

यही मुहर्रम का महीना है जिससे इस्लामी चंद्र वर्ष (हिजरी वर्ष) की शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत ख़लीफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर–ए–खिलाफ़त में हुई थी।

१ मुहर्रम को ही हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई।

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लामी इतिहास का एक ऐसा नाम हैं जिनकी महानता को न सिर्फ मुसलमान बल्कि ग़ैर–मुस्लिम भी स्वीकार करते हैं। आप नबी नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने आपकी ज़बान से कई ऐसे फ़ैसले ज़ाहिर किए जो बाद में वही (ईश्वरीय आदेश) का हिस्सा बन गए। आपकी ख़िलाफ़त में इस्लाम को बेमिसाल फतहें और कामयाबियाँ नसीब हुईं।

आपने कैसर–ओ–किसरा की सल्तनतों को मिटाकर इस्लाम के झंडे को बुलंद किया।

आपकी ही पहल पर:

हिजरी तारीख़ की शुरुआत की गई,

जनगणना (मर्दुम शुमारी),

जेलों की स्थापना,

रात को गश्त लगाकर जनता की देखरेख,

पुलिस विभाग की स्थापना,

सैन्य छावनियाँ,

मदरसों व शिक्षण संस्थाओं की नींव रखी गई।

२६ ज़िलहिज्जा २३ हिजरी को एक अग्निपूजक (मजूसी) अबू लुलू फिरोज़ ने फ़ज्र की नमाज़ के दौरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला किया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। चार दिन तक वे मौत और ज़िंदगी के बीच झूलते रहे और आखिरकार १ मुहर्रम २४ हिजरी को सजदे की हालत में उनका इंतक़ाल हो गया। आपकी जनाज़े की नमाज़ हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पढ़ाई। आप को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में, रसूलुल्लाह क्ष के पास दफन किया गया।

क्या मुहर्रम की पवित्रता का कर्बला से संबंध है?

बहुत से लोग यह समझते हैं कि मुहर्रम की पवित्रता हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की वजह से है, लेकिन यह गलत है। मुहर्रम की पवित्रता इस्लाम की शुरुआत से रही है – यह कर्बला की घटना से जुड़ी हुई नहीं है।

कर्बला का दुखद वाकया ६१ हिजरी में १० मुहर्रम को हुआ था – यानी नबी क्ष के इंतकाल के लगभग आधी सदी बाद। इसमें रसूलुल्लाह क्ष के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके परिजनों को यज़ीद की फौजों ने बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया।

यह घटना उस वक़्त लिखित रूप में नहीं आई थी – बल्कि करीब २५० साल बाद दर्ज हुई, और उसमें बहुत सी म('ऊ़ा आराई और घालमेल कर दी गई। इस दुखद हादसे की आड़ में इस्लाम के दुश्मनों ने बहुत–सी ग़लत रिवायतें, रस्में और गुमराहियाँ इस्लाम में शामिल कर दीं।

अब हालात ऐसे बन गए हैं कि जैसे ही मुहर्रम आता है, आम मुसलमानों के दिमाग़ में केवल कर्बला, मातम, ताजिए और रिवायतें घूमती हैं – जबकि इस पवित्र महीने की असल अहमियत और इबादतों की ओर ध्यान नहीं जाता।

मुहर्रम की दसवीं तारीख़: यौमे आशूरा की फज़ीलत

पूरा महीना ही पवित्र है, लेकिन मुहर्रम की दसवीं तारीख़, जिसे आशूरा कहा जाता है – इसकी खास फज़ीलत हदीसों से साबित है।

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि कुरैश के लोग ज'जलियत में भी इस दिन रोज़ा रखते थे, और काबा पर नया गिलाफ़ चढ़ाते थे – यह रोज़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता था।

जब रसूलुल्लाह क्ष मक्का से हिजरत करके मदीना पहुँचे, तो आपने देखा कि यहूद इस दिन रोज़ा रखते हैं। आपने उनसे पूछा:

इस दिन की क्या अहमियत है?

यहूदियों ने जवाब दिया: इस दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी क़ौम को फिरऔन से निजात दी थी, और मूसा ने इस दिन रोज़ा रखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया था, इसलिए हम भी रखते हैं।

तब नबी क्ष ने फरमाया:

मूसा से हमारा ताल्लुक़ तुमसे ज़्यादा है। हम उनके ज़्यादा हक़दार हैं।

फिर आपने ख़ुद भी रोज़ा रखा और सहाबा को भी हुक्म दिया। (बुखारी, मुस्लिम)

यौमे आशूरा पर किस तरह का रोज़ा रखें?

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि जब सहाबा ने कहा कि यहूद और नसरानी भी इस दिन को खास मानते हैं, तो रसूलुल्लाह क्ष ने फ़रमाया कि अगले साल हम ९वीं तारीख़ को भी रोज़ा रखेंगे, ताकि यहूद से अलग हों।

लेकिन अगले साल आने से पहले ही रसूलुल्लाह क्ष का इंतक़ाल हो गया।

इसलिए बेहतर यह है कि आशूरा (१० मुहर्रम) के साथ ९ या ११ तारीख का भी रोज़ा रखा जाए, ताकि फज़ीलत भी हासिल हो और यहूद के साथ समानता भी न रहे।

निष्कर्ष:

मुहर्रम इस्लामी नववर्ष का आरंभिक महीना है – इसका मक़सद हमें तहज़ीब, इबादत, आत्मचिंतन और इतिहास से सबक लेने की प्रेरणा देता है।

इस्लाम हमें अंधविश्वास नहीं, बल्कि सही रिवायतों और सुन्नत की पैरवी सिखाता है।

मोहम्मद खालिद
दारोगर, सांताक्रूज़, मुंबई

ईरान ने अमेरिका को मारा तमाचा, लेकिन ग़ज़ा का क्या होगा?

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने अमेरिका और इज़राइल को झटका दिया है। ईरान की साहसिक कार्रवाईयों ने न केवल इज़राइली रक्षा प्रणाली को चुनौती दी, बल्कि अमेरिकी समर्थित ताक़तों को भी उजागर कर दिया है।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाषण देते हुए डोनाल्ड ट्रंप सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज जो लोग अमेरिका की सत्ता चला रहे हैं, वे लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में ज़रूरी है कि सरकार के भीतर और बाहर से गलत बातों का विरोध हो – लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा।

ओबामा ने कहा कि व्यापारिक सौदों में लोगों को डराया जा रहा है, जो न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि नैतिक रूप से भी खतरनाक है। अपने शासनकाल की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि चीन की बढ़ती ताकत के बावजूद हमने टैरिफ जैसे हथियारों का अनावश्यक इस्तेमाल नहीं किया। वर्तमान स्थिति में युवाओं को देश को बचाने के लिए आगे आना चाहिए।

ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इज़राइली हमलों के बावजूद युद्धविराम लागू करना पड़ा, जिससे अमेरिका की वैश्विक स्थिति को काफ़ी नुकसान हुआ। यही कारण है कि पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को सार्वजनिक रूप से यह बात कहनी पड़ी। वास्तव में, पश्चिम एशिया की स्थिति ने अमेरिका को असहज कर दिया है।

ईरान और इज़राइल के बीच हालिया संघर्ष के दौरान, ईरान की जुझारूपन ने उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है। यहां तक कि अमेरिकी मीडिया के कुछ हिस्सों ने भी ईरान की बहादुरी को सराहा है।

इस युद्धविराम के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई ने अपने पहले सार्वजनिक बयान में कहा कि ईरान ने इज़राइल पर जीत हासिल की है। उन्होंने यह बयान ईरान के सरकारी टेलीविज़न पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से दिया। ख़ामेनेई ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में कोई हमला हुआ, तो दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

– जावेद जमालुद्दीन

८६ वर्षीय ख़ामेनेई ने १३ जून से शुरू हुए युद्ध के दौरान एक गुप्त स्थान पर शरण ली थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने केवल इसलिए हस्तक्षेप किया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह हस्तक्षेप नहीं करता, तो यहूदी सरकार पूरी तरह तबाह हो सकती थी। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका को इस युद्ध से कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने अमेरिकी सैन्य अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले का संकेत देते हुए कहा कि इस्लामी गणराज्य ने विजय प्राप्त की और अमेरिका को तमाचा मारा।

ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास इराक़ी ने भी स्पष्ट किया है कि ईरानी धरती पर अमेरिकी और इज़राइली हमलों के बाद अमेरिका के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं है। सरकारी प्रसारणकर्ता खठखइ को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यदि ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा होती है, तभी वार्ता पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल न तो कोई समझौता हुआ है और न ही कोई वार्ता जारी है। उन्होंने २०१५ के परमाणु समझौते पर पिछली बातचीत में अमेरिका पर ईरान को धोखा देने का आरोप भी लगाया।

इस बीच, इज़राइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के बाद इज़राइल की स्थिति को मज़बूत बताते हुए कहा कि अब शांति की संभावनाएं बढ़ गई हैं, और इज़राइल इन अवसरों को खोएगा नहीं। उन्होंने कहा कि विजय राष्ट्र को नए अवसर देती है। इसके चलते शांति भी फैलेगी और नए समझौते भी होंगे।

नेतन्याहू ने ग़ज़ा में हमास की हार और वहां कैद अपने बंधकों की रिहाई के प्रयासों का भी ज़िक्र किया। इज़राइली मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने ग़ज़ा में युद्ध को अगले दो हफ्तों में समाप्त करने पर सहमति जताई।

रिपोर्ट के अनुसार, एक 'सूत्र' ने बताया कि इस समझौते के तहत चार अरब देश – जिनमें संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र शामिल हैं – हमास की जगह ग़ज़ा में संयुक्त रूप से शासन करेंगे, हमास की नेतृत्व टीम को निर्वासित किया जाएगा और सभी बंधकों को रिहा किया जाएगा।

हालाँकि, अरब सहयोगियों ने बार–बार ज़ोर देकर कहा है कि जब तक इज़राइल फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण (Palestinian -uthority) को ग़ज़ा में भूमिका निभाने की अनुमति नहीं देता, तब तक वे ग़ज़ा के पुनर्निर्माण में शामिल नहीं होंगे। लेकिन नेतन्याहू ने फ़िलिस्तीनी प्राधिकरण की किसी भी भूमिका को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।

इसलिए जब तक ग़ज़ा और फ़िलिस्तीन को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक क्षेत्र में तनाव बना रहेगा।

चेल्सी फ्लावर शो

चेल्सी फ्लावर शो का नाम आते ही एक मशहूर हिंदुस्तानी गाना मेरे ज़ेहन में गूंजने लगता है, और मैं खुद-ब-खुद गुनगुनाने लगता हूँ - बहारों फूल बरसाओ, चेल्सी फ्लावर शो आया है। जब तक यह शो टीवी पर प्रसारित होता है, हर शाम ऐसा लगता है जैसे सचमुच बहारें फूल बरसा रही हों।

टीवी पर रंग-बिरंगे फूलों से सजे बाग़-बगिचों की झलक और लोगों की भीड़ देखकर कुछ पल के लिए हमारे दिल के बाग़ में भी रंग-बिरंगे फूल खिल उठते हैं।

ब्रिटेन की राजधानी लंदन के प्रसिद्ध चेल्सी क्षेत्र में १९ मई को इस साल के चेल्सी फ्लावर शो का उद्घाटन राजा चार्ल्स तृतीय ने किया। इस अवसर पर क्वीन कैमिला समेत शाही परिवार के कई सदस्य भी मौजूद रहे। वैसे भी, शाही परिवार का चेल्सी फ्लावर शो से एक गहरा लगाव रहा है। राजा चार्ल्स स्वयं इस शो के संरक्षक हैं, जो शो के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है।

कहा जाता है कि शाही परिवार को हमेशा से बागवानी का शौक रहा है। हर साल इस शो में शाही परिवार के किसी सदस्य की पसंद के अनुसार एक खास बाग़ किसी प्रसिद्ध डिज़ाइनर द्वारा तैयार करवाकर प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मकसद उनके पसंदीदा चैरिटी के लिए चंदा इकट्ठा करना होता है। इस बार भी कई नामी डिज़ाइनरों ने चैरिटी के समर्थन में बाग़ डिज़ाइन किए।

शाही परिवार और चेल्सी फ्लावर शो के रिश्ते की एक और मिसाल यह है कि २०१२ में जब महारानी एलिज़ाबेथ की ताजपोशी की ६०वीं सालगिरह मनाई गई थी, तो रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी ने उन्हें एक ब्रोच (ब्रिटिश महिलाएं कोट पर पहनती हैं) भेंट किया था। चेल्सी फ्लावर शो के पहले दिन शाही परिवार की उपस्थिति अब भी एक परंपरा और सम्मान की बात मानी जाती है।

१९३७ में जब राजा जॉर्ज छठे और रानी एलिज़ाबेथ की ताजपोशी हुई थी, तब ब्रिटिश उपनिवेशों से कई पौधे उपहार स्वरूप लाए गए थे - अफ्रीका से ग्लैडियोलस, कनाडा से पाइन ट्री, फिलिस्तीन से नाशपाती और ऑस्ट्रेलिया से वेटल्स के पेड़।

शाही परिवार केवल दर्शक नहीं होते, बल्कि बागवानी और डिज़ाइन के शौकीन भी हैं। २००९ में प्रिंस चार्ल्स को बेहतरीन बाग़ डिज़ाइन के लिए विक्टोरिया मेडल से सम्मानित किया गया था, और इससे पहले उनकी दादी को भी इसी पुरस्कार से नवाजा गया था।

चेल्सी फ्लावर शो की एक विशेष बात यह है कि इसमें दुनिया भर के बागवान अपने-अपने पसंदीदा बाग़ों की झलक पेश करते हैं। यहां विभिन्न देशों से फूल-पौधे लाकर प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिससे बागवानी करने वालों को नई जानकारियां मिलती हैं और उनका ज्ञान बढ़ता है।

इस बार के पांच दिवसीय शो में लगभग १,४५,००० लोगों ने भाग लिया। इसके साथ ही शौकिया बागवानों के डिज़ाइन किए बागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो इस शो की एक पहचान बन चुकी है।

फहिम अख्तर, लंदन

कुछ रोचक तथ्य:

चेल्सी फ्लावर शो की शुरुआत १९१३ में हुई थी और यह ११२ वर्षों से रॉयल हॉस्पिटल के मैदान में आयोजित हो रहा है।

BBC ने इसे १९५९ से टीवी पर प्रसारित करना शुरू किया।

यह शो २० एकड़ ज़मीन में आयोजित होता है, जिसमें ४०० बागवानी प्रदर्शनी लगती हैं।

इसकी योजना १५ महीने पहले शुरू होती है। शो को सेट-अप करने में २५ दिन, और हटाने में ११ दिन लगते हैं।

८००० लोग इस शो की तैयारी में जुटते हैं।

आरएचएस (रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी) के एक सर्वे के अनुसार अब २४% से अधिक घरों के सामने के बाग कंक्रीट और संगमरमर से ढक दिए गए हैं। लगभग १,४९२ लोगों ने बताया कि उनके घरों के बाहर हरियाली बिल्कुल नहीं है।

आरएचएस की मुख्य सलाहकार ली हंट ने कहा कि बाग़ों में लगाए गए पौधे:

बाढ़ रोकने में मदद करते हैं,

जंगली जीवों को घर देते हैं,

गर्मियों में शहरों को ठंडा और सर्दियों में घरों को गरम रखते हैं।

कई लोगों का मानना है कि हम अपनी सड़कों को हरा-भरा और सुंदर बना सकते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि अब तक ७.२४ मिलियन घरों के सामने के बागों को पूरी तरह कंक्रीट से ढका जा चुका है।

आरएचएस ने इस मौके पर लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं। आज के बदलते माहौल और समय की कमी के कारण लोग बागवानी के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, जिससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है।

चेल्सी फ्लावर शो का इतिहास:

इस शो को पहले ग्रेट स्प्रिंग शो कहा जाता था।

इसे हर साल मई में पांच दिन आयोजित किया जाता है।

इसकी शुरुआत १८३३ में लंदन के चीज़िक इलाके से हुई थी, लेकिन १९०५ में यह चेल्सी में स्थानांतरित हुआ।

१९७० के दशक से इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी।

अब यह शो ग्यारह एकड़ ज़मीन में लगता है।

२००५ से यह शो पांच दिन तक चलने लगा।

पहले दो दिन केवल आरएचएस के सदस्यों के लिए होते हैं।

बीबीसी पर यह शो पांचों दिन प्रसारित किया जाता है।

इसमें दुनिया के नए पौधों का परिचय होता है और कुछ को वोटिंग के आधार पर पुरस्कार भी दिए जाते हैं।

एक युवा बच्चे को भी प्रेरणादायक बागवानी के लिए इनाम दिया जाता है।

मैं आरएचएस की इस मुहिम से पूरी तरह सहमत हूँ कि बागों को खत्म नहीं करना चाहिए और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इस विनाश से सुरक्षित रह सके।

मैं चेल्सी फ्लावर शो के आयोजकों को दिल से बधाई देता हूँ और दुआ करता हूँ कि यह शो हमेशा अपनी रौनक और गरिमा के साथ जारी रहे।

वक़्फ़ क़ानून: मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला

भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है, जहां सभी धर्मों को अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार जीवन जीने, इबादत करने, धार्मिक संस्थाएं चलाने और धार्मिक स्थलों की रक्षा करने का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन प्रस्तावित वक़्फ़ संशोधन अधिनियम २०२५ ने भारत के करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है।

यह विधेयक न केवल वक़्फ़ की संपत्तियों पर सरकारी हस्तक्षेप को वैध करता है, बल्कि मुस्लिम समाज की धार्मिक स्वायत्तता, संस्था निर्माण और धार्मिक नेतृत्व पर भी अप्रत्यक्ष नियंत्रण की ओर संकेत करता है।

एकपक्षीय न्याय प्रक्रिया और वक़्फ़ संपत्तियों की जब्ती की कोशिश

नए विधेयक के तहत यदि किसी वक़्फ़ की संपत्ति को विवादित करार दिया जाता है, तो उसका निर्णय किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा - यानी सरकार खुद ही पक्ष भी बनेगी और न्यायाधीश भी। ट्रिब्यूनल जैसी न्यायिक संस्थाओं को निष्क्रिय कर देना एक लोकतंत्र में न्याय की मूल भावना पर प्रहार है।

धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान का उल्लंघन

यह कानून यह भी प्रस्ताव करता है कि वक़्फ़ बोर्ड और उसकी परिषदों में गैर-मुस्लिम सदस्य भी नियुक्त किए जा सकते हैं, जबकि यह मुस्लिम धार्मिक संस्थाएं हैं और इनके आंतरिक मामलों में गैर-मुस्लिम हस्तक्षेप धार्मिक स्वतंत्रता की भावना के विरुद्ध है।

विकास के नाम पर वक़्फ़ आय पर नियंत्रण

सरकार वक़्फ़ की आय को विकास और सशक्तिकरण के नाम पर उपयोग करने की बात करती है। जबकि इन संपत्तियों को खास तौर पर मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, खानकाह आदि जैसे धार्मिक कार्यों के लिए वक़्फ़ किया गया होता है। इसका उपयोग केवल वक़्फ़कर्ता की मंशा के अनुसार ही हो सकता है - यही शरीअत का उसूल है।

नए वक़्फ़ की स्थापना में बाधाएं

नए वक़्फ़ के लिए यह शर्त रखी गई है कि वक़्फ़कर्ता को पांच साल तक व्यवहारिक मुसलमान साबित करना होगा। यह बाधा न केवल अव्यवहारिक है बल्कि धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा देती है।

हमारी मांगें क्या हैं?

१. वक़्फ़ ट्रिब्यूनल की स्वतंत्रता बहाल हो

२. वक़्फ़ बोर्ड में केवल मुस्लिम सदस्य हों

३. वक़्फ़ संपत्ति की आय वक़्फ़कर्ता की नियत के अनुसार ही खर्च हो

४. नए वक़्फ़ निर्माण पर लगाए गए अनावश्यक प्रतिबंध हटाए जाएं

आओ बीड़ चलें - 'वक़्फ़ बचाओ - संविधान बचाओ' सम्मेलन में भाग लें

इस सम्मेलन से मौलाना खालिद सैफुल्लाह

और मौलाना उमरैण महफुज रहमानी व दिगर उलमा कराम भी खिताब करेंगे।

२९ जून २०२५ को बीड़ के इज्तिमा गाह मैदान, मोमिनपुरा में होने वाला 'वक़्फ़ बचाओ - संविधान बचाओ' सम्मेलन अब केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक जनआंदोलन का रूप ले चुका है।

इंसानियत की पुकार पर 'एकता संगठन' ने दिखाई मिसाल, मदरसे के छात्र की जान बचा कर जीते दिल

जलगांव (अकील खान ब्यावली)

जब इंसानियत कराह रही हो, जब दर्द मदद की पुकार लगा रहा हो, और समाज तमाशबीन बन कर खड़ा हो , तब अगर कोई मदद के लिए आगे आता है, तो वह केवल एक इंसान नहीं बल्कि इंसानियत का चलती-फिरती मिसाल बन जाता है.ऐसा ही एक जज़्बाती और झकझोर देने वाला वाक़या हाल ही में जलगांव के पास घटा. बिहार से जलगांव होते हुए मदरसे अक्कलकुवा की ओर सफर कर रहा एक नन्हा छात्र, भुसावल में एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया. हादसा इतना भयानक था कि मासूम का एक पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, शरीर खून से लथपथ था और उसकी हालत नाज़ुक.वह दर्द में तड़प रहा था, लेकिन वहां मौजूद लोग मूकदर्शक बने तमाशा देख रहे थे.ऐसे नाज़ुक लम्हे में इंसानियत का कारवां बन कर सामने आया एकता संगठन. स्थानीय निवासी हाफिज़ दानिश ने जब हादसे की सूचना दी, तो संगठन की टीम फ़ौरन हरकत में आ गई. अल्लाह की रज़ा दिल में, दुआ जुबां पर, और मदद का जज़्बा हाथों में लिए यह टीम घटनास्थल पर पहुंची.घायल छात्र को बिना देर किए जलगांव के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया.

डॉक्टरों का कहना था कि अगर कुछ और पल भी बीत जाते, तो छात्र की जान बचा पाना मुमकिन नहीं होता. एकता संगठन के समय पर उठाए गए क़दम और निष्कलंक मानवता के भाव ने न सिर्फ़ इस मासूम की जान बचाई, बल्कि समाज में उम्मीद, यक़ीन और भाईचारे का उजाला फैला दिया.

ऑपरेशन के बाद छात्र को बदनापुर के एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित किया गया. एकता संगठन ने न केवल ऐम्बुलेंस और इलाज का पूरा प्रबंध किया, बल्कि अपनी ओर से २,००० रुपए नकद और ४,००० रुपए का यात्रा खर्च भी दिया.इस बेहतरीन इंसानी सेवा कार्य में जिन फरिश्तों ने भाग लिया, उनमें संगठन के अध्यक्ष मुफ्ती खालिद, फारूक शेख, हाफिज़ अब्दुर्रहीम, अनीस शाह, हाफिज़ दानिश, और कारी मुश्ताक़ शामिल हैं.इन्होंने यह साबित कर दिया कि ख़िदमत-ए-ख़ल्क ही असल इबादत है.इस नेकदिली और इंसानियत से भरे कार्य की समाज में ज़बरदस्त सराहना हो रही है. हर आंख नम है, लेकिन दिलों को तसल्ली है कि आज भी हमारे समाज में दर्द को महसूस करने वाले, ज़ख़्मों पर मरहम रखने वाले और खामोशियों में इंसानियत की चीख सुनने वाले लोग मौजूद हैं.

एकता संगठन की टीम ने आख़िर में समाज से भावुक अपील की:ऐसे मौकों पर खामोश तमाशबीन न बनें. इंसानियत की राह में एक किरदार बनें.अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूरतमंदों की मदद करें - क्योंकि मुमकिन है कल किसी मोड़ पर आपको भी किसी की मदद की दरकार हो.

नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के तहत जामिया मिल्लिया इस्लामिया के उर्दू विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान

देश की तरक्की के लिए नशा मुक्त समाज बनाने की ली शपथ

नई दिल्ली। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में नशा मुक्त भारत पखवाड़ा १२ जून से २५ जून २०२५ तक देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान में प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ की प्रेरणा से उर्दू विभाग में शपथ ग्रहण समारोह और रैली का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर विभागाध्यक्ष प्रोफेसर कौसर मजहरी ने कहा कि नशा एक मूक हत्यारा है जो न केवल शरीर को, बल्कि सामाजिक मूल्यों और पारिवारिक ढांचे को भी अंदर से खोखला कर देता है।

शपथ ग्रहण समारोह में प्रोफेसर कौसर मजहरी, प्रोफेसर शहजाद अंजुम, डॉ. खालिद मुबश्शिर, डॉ. मोहम्मद मुकीम, डॉ. मोहम्मद आदम, डॉ. नौशाद मंज़र, डॉ. साकिब इमरान और डॉ. शहनवाज़ फैयाज़ के साथ-साथ कार्यालय कर्मचारी जय राम, मोहम्मद अख़्तर और शोध छात्र मोहम्मद तल्हा, अब्दुर्रहमान और अबू हुरैरा ने यह शपथ ली कि हम पूरी निष्ठा से अपने देश को नशा मुक्त बनाने की हरसंभव कोशिश करेंगे।

इस अभियान के तहत उर्दू विभाग ने यह संदेश दिया कि युवा पीढ़ी किसी भी देश की ऊर्जा होती है और देश के विकास में उनकी भूमिका बेहद अहम होती है। इसलिए यह जरूरी है कि अधिक से अधिक युवा इस नशा विरोधी अभियान से जुड़ें।

युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए यह संकल्प लेना आवश्यक है कि केवल समुदाय, परिवार और मित्र ही नहीं, बल्कि हम स्वयं भी नशे से दूर रहेंगे और समाज को स्वस्थ और नशामुक्त बनाने में योगदान देंगे।

महाराष्ट्र का सबसे बड़ा स्क्रैपिंग सेंटर खुलताबाद में होगा स्थापित

एसटी महामंडळ की १०० एकड़ जमीन पर पीपीपी मॉडल से होगा निर्माण

रिपोर्ट: रामिज़ काज़ी, मुंबई

राज्य में पुरानी गाड़ियों का वैज्ञानिक तरीके से स्क्रैप कर उन्हें पुन: प्रयोग से पूरी तरह रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडळ (एसटी महामंडळ) की ओर से छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुलताबाद में राज्य का सबसे बड़ा स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा।

इस स्क्रैपिंग सेंटर का निर्माण सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत एसटी महामंडळ की १०० एकड़ जमीन पर किया जाएगा। यह निर्णय हाल ही में शुक्रवार को आयोजित एसटी महामंडळ की समीक्षा बैठक में लिया गया।

परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळ के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने बताया कि इस सेंटर से भविष्य में एसटी को एक नया और स्थायी आय स्रोत प्राप्त होगा। बैठक में महामंडळ के उपाध्यक्ष और व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर समेत सभी विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।

२०२१ की नीति के अनुसार किया जाएगा स्क्रैप

केंद्र सरकार ने वर्ष २०२१ में रजिस्टर्ड

व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी नामक योजना के अंतर्गत १५ साल से अधिक पुराने वाहनों को वैज्ञानिक और मानकीकृत प्रक्रिया के तहत स्क्रैप करने का प्रावधान किया था, ताकि उनके पुर्जों का पुन: उपयोग न हो सके।

महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष २०२३ में इस नीति को स्वीकार किया और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (-खड) की शर्तों के अनुसार स्क्रैपिंग सेंटर को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू की। उसी के तहत एसटी महामंडळ को राज्य में तीन स्थानों पर स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

इनमें से सबसे पहला और सबसे बड़ा सेंटर खुलताबाद में बनाया जाएगा।

बैठक में अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय

समीक्षा बैठक में आवश्यक जनशक्ति की ठेका पद्धति से भर्ती, कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले व पदोन्नति के नए मापदंडों की अमल में लाने, और नए वाहन खरीद नीति जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।

राज्य में अभी ८ स्क्रैपिंग सेंटर कार्यरत

वर्तमान में महाराष्ट्र में ८ अधिकृत स्क्रैपिंग संस्थाएं कार्यरत हैं, जिनमें प्रत्येक की सालाना कम से कम १००० वाहनों को स्क्रैप करने की क्षमता है। लेकिन खुलताबाद में बनने वाला यह स्क्रैपिंग सेंटर, वैज्ञानिक पद्धति से सबसे अधिक वाहनों को स्क्रैप करने वाला राज्य का सबसे बड़ा केंद्र होगा।

पुल निर्माण कार्य अंतिम चरण में, तकिया मस्जिद के पास स्लैब डालने का कार्य शुरू

बीड़, दिनांक २८ जून

उपमुख्यमंत्री तथा बीड़ जिले के संपर्क मंत्री अजितदादा पवार, पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे और पूर्व विधायक अमरसिंह पंडित के मार्गदर्शन में तकिया मस्जिद के सामने निर्माणाधीन पुल पर आज स्लैब डालने का कार्य शुरू हो गया है। यह पुल निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है।

इस अवसर पर नगर परिषद के गटनेता फारुख पटेल, अशफाक इनामदार, बरकत पठान, अमर नाना नाईकवाडे, अलीम पटेल, शकील बिल्डर तथा स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि यह पुल क्षेत्र की यातायात सुविधा के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण है और स्थानीय जनता लंबे समय से इसके पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रही थी। संबंधित प्रशासनिक व जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से यह कार्य शीघ्र पूर्णता की ओर अग्रसर है।

त्रिभाषा नीति पर उद्धव सरकार ने केवल अध्ययन समिति बनाई थी-संजय राऊत

रिपोर्टर : जमीर काज़ी, मुंबई

ठाकरे गुट के नेता व सांसद संजय राऊत ने शनिवार को दावा किया कि जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, तब त्रिभाषा नीति को लेकर माशेलकर समिति की रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखी गई थी, जिसके बाद उसे एक अध्ययन गुट को भेज दिया गया था। लेकिन उस गुट की आगे एक भी बैठक नहीं हुई।

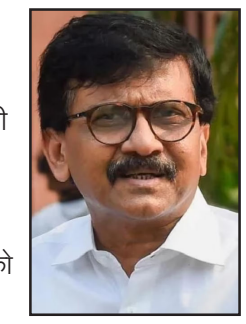

राऊत ने यह आरोप भी लगाया कि मौजूदा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने २२ अप्रैल को इस नीति पर जीआर (सरकारी निर्णय) जारी किया और उसकी अमलात लाना शुरू कर दिया। अगर उनमें हिम्मत है तो इस पर स्पष्ट बयान दें, ऐसा सीधा आव्हान संजय राऊत ने दिया।

राज्य सरकार द्वारा पहली कक्षा से हिंदी भाषा लागू करने के निर्णय के विरोध में उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ५ जुलाई को मोर्चा निकालने वाले हैं। इसी के जवाब में भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि राज्य में त्रिभाषा नीति को २०२२ में, उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए, स्वीकार किया गया था और उन्होंने ही अध्ययन समिति बनाई थी।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राऊत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी केंद्र सरकार के विरोध में थी, इसलिए भाजपा की ओर से राज्य सरकार पर तरह-तरह के दबाव डाले जा रहे थे। उन्हीं दबावों के चलते त्रिभाषा नीति लाने का विचार सामने आया था।

हिंदी भाषा को टालने और प्रक्रिया को लंबा खींचने के उद्देश्य से माशेलकर समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट कैबिनेट के सामने आने के बाद उसे मुंबई और पुणे विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों की एक अध्ययन समिति को भेजने का निर्देश ठाकरे सरकार ने दिया था। लेकिन इसके बाद तीन वर्षों तक उस समिति की कोई बैठक नहीं हुई और रिपोर्ट ऐसे ही पड़ी रही।

अब भाजपा त्रिभाषा नीति को लेकर झूठ फैला रही है। जबकि २२ अप्रैल को फडणवीस सरकार ने जीआर निकालकर त्रिभाषा नीति को अमल में लाया है। इस पर मुख्यमंत्री फडणवीस को खुलकर बात करनी चाहिए, ऐसा संजय राऊत ने दो टूक कहा।

उमाकिरण शिक्षा संकुल प्रकरण में SIT से होनी चाहिए जांच: कामरान ख़ान

शिक्षा के मंदिर में लोग सिर्फ अपनी बेटियों को नहीं, बल्कि अपने जीवन की सबसे अहम पूंजी-भविष्य का विश्वास लेकर भेजते हैं। ऐसे गुरुकुलों में शिक्षा देना एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। लेकिन अफ़सोस है कि बीड़ में उमाकिरण शिक्षा संकुल में कुछ लोगों ने इस पवित्र कार्य को बदनाम करने का काम किया है।

अश्लीलता, दुर्व्यवहार, मानसिक और शारीरिक शोषण जैसे आरोपों ने पूरे बीड़ जिले को हिला दिया है। खास तौर पर जब यह स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि यह सब कुछ प्रशासनिक संरक्षण में हो रहा था और डखढ जांच की सख़्त ज़रूरत है।

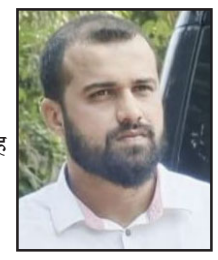

(आरोपी विजय पवार) पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। विशेष तौर पर कामरान ख़ान (स्वयं एक शिक्षित युवा और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि) ने कहा कि-यह सिर्फ एक व्यक्ति की गलती नहीं है, बल्कि पूरे प्रशासनिक तंत्र की निष्क्रियता और मिलीभगत है। यदि आज इस पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई, तो आगे जाकर ऐसी संस्थाएं शिक्षा के नाम पर अराजकता फैलाएंगी। उन्होंने कहा कि यह जांच केवल सतही नहीं बल्कि व्यापक और निष्पक्ष होनी चाहिए, जिससे बच्चों और माता-पिता का टूटता विश्वास फिर से बहाल हो सके। साथ ही, जिन छात्राओं को प्रताड़ित किया गया है उन्हें न्याय मिले, यही इस समाज की ज़िम्मेदारी है।

बीड मे बनेगा आधुनिक इनडोर स्टेडियम

केंद्र व राज्य सरकार से ४०० करोड़ की निधि, काजी समीर का ऐलान

छत्रपति संभाजी नगर (औरंगाबाद), प्रतिनिधि

महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर गुलाम नबी काज़ी ने एक महत्वपूर्ण पत्रकार परिषद में जानकारी दी कि राज्य में मराठवाड़ा के दो शहरों – छत्रपति संभाजीनगर के आमखास मैदान और बीड़ में स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालयों से संयुक्त रूप से ४०० करोड़ रुपये का भारी भरकम निधि मिलने जा रहा है।

उन्होंने बताया कि आमखास मैदान पर अंतरराष्ट्रीय दर्जे का फुटबॉल स्टेडियम और इनडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। इसके अलावा बीड़ शहर में भी आधुनिक स्टेडियम की योजना को मंजूरी दी गई है।

वक्फ बोर्ड राज्य की १४३ संस्थाओं को अपने नियंत्रण में लेकर उनका विकास करने जा रहा है। जो किरायेदार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं और किरायानामा नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विशेष बिंदु (बॉक्स में):

४०० करोड़ का निधि, समीर काज़ी के प्रयासों से बीड़ वासियों का सपना साकार

राज्य वक्फ बोर्ड ने आमखास मैदान के लिए १०९ करोड़ रुपये का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा था।

समीर काज़ी की पहल से केंद्र तक पहुंचा मामला

समीर काज़ी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद सैयद द्वारा प्रस्ताव का विशेष तौर पर लगातार पीछा किया गया। इसके बाद समीर काज़ी ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू और राज्य मंत्री दत्तात्रय भरणे से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और निधि के लिए योजना तैयार करने का आश्वासन दिया है।

काज़ी ने बताया कि बीड़ शहर में भी स्टेडियम की माँग की गई है ताकि स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने के अवसर मिल सकें। उन्होंने कहा, मैं अपनी कर्मभूमि के लिए यह बड़ा काम कर रहा हूँ, इसका मुझे गर्व है।

१४३ वक्फ संस्थाएं ली जाएंगी सीधे नियंत्रण में

वक्फ बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य की १४३ वक्फ संस्थाओं को सीधे बोर्ड के नियंत्रण में लेकर उनका विकास किया जाएगा। इन संस्थाओं में विवाद व शिकायतें थीं जिससे वक्फ फंड वसूली में अड़चन आ रही थी।

अब बोर्ड खुद निगरानी करेगा और संभव हो सके तो उन्हें विकसित कर वक्फ फंड में वृद्धि करेगा।

बिना किरायानामा वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

वक्फ बोर्ड के अधीन करीब १.०१ लाख अंश में से ६०% जमीनों पर अतिक्रमण है। कई संस्थाएं और व्यावसायिक प्रतिष्ठान वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किए हुए हैं लेकिन २०१४ के केंद्रीय वक्फ कानून के अनुसार किरायानामा नहीं कर रहे हैं।

ऐसे कब्जाधारकों को नोटिस भेजी जाएगी और उनके खिलाफ धारा ५२ और ५४ के अंतर्गत कार्रवाई होगी।

राज्य में 'मॉडेल स्कीम' योजना लागू होगी

राज्य की कई योजनाएं और बदलाव प्रक्रियाधीन हैं। अब जिलास्तर पर वक्फ अधिकारी जांच कर प्रस्ताव मुख्यालय भेजेंगे, जिससे दो माह के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। यह निर्णय त्वरित प्रशासन के लिए लिया गया है। २०२५-२६ में २० करोड़ वक्फ फंड लक्ष्य

२०२४-२५ में वक्फ बोर्ड का फंड १० करोड़ रुपये हो चुका है, जो पहले ६ करोड़ था। अब अगले वर्ष २०२५-२६ में २० करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है। बढ़े हुए निधि से गरीबों को शैक्षणिक छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य और जनहित के कामों में सहायता दी जाएगी।

रोजाना कर्मचारियों का वेतन बढ़ा, सुनवाई और बैठक का नया शेड्यूल

वक्फ बोर्ड ने रोजंदारी कर्मचारियों के वेतन में २०० रुपये की बढ़ोतरी की है। साथ ही हर महीने की अंतिम गुरुवार को सुनवाई और शुक्रवार को बैठक आयोजित की जाएगी।

अब इन बैठकों के लिए अध्यक्ष व सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। यह फैसला जनहित में लिया गया है ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके।

बैठक में शामिल प्रमुख सदस्य:

मौलाना अथर अली, एडवोकेट ए.यू. पठान, एडवोकेट इफ्तेखार हाशमी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जुनेद सय्यद, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मुशीर शेख और विशेष अधीक्षक खुसरो खान मौजूद थे।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com